भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2781
(जिसका उत्तर मंगलवार, 05 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>पश्चिमी बंगाल में पंजीकृत एलएलसी और एलएलपी</u>

2781. डा. कनवर दीप सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में अब तक और पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) की संख्या कितनी है;
(ख) क्या पश्चिमी बंगाल में इन सीमित देयता वाली कंपनियों (एलएलसी) और एलएलपी द्वारा निधियों के गलत प्रयोग का कोई मामला आया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) : पश्चिम बंगाल में 30.06.2014 तक पंजीकृत कंपनियों एवं सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) की कुल संख्या क्रमशः 1,82,417 एवं 1,168 है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत ऐसी कंपनियों एवं एलएलपी की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका: पश्चिम बंगाल में पंजीकृत कंपनियों एवं एलएलपी की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	वर्ष	कंपनियां	एलएलपी
1.	2011-12	17698	187
2.	2012-13	12398	243
3.	2013-14	9939	461
4.	2014-15 (30.06.2014 तक)	577	121

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल की कतिपय कंपनियों द्वारा जनता से एकत्रित निधियों के गबन के आरोप के मामले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के अंतर्गत 63 कंपनियों के कार्यों की जांच का आदेश दिया है।

*****